Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सीकर में सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग का सहायक प्रोग्रामर 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *12 अक्टूबर,* बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज सीकर में कार्यवाही करते हुये अब्दुल खलील कुरेशी सहायक प्रोग्रामर अतिरिक्त कार्यभार प्रोग्रामर, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग, ब्लॉक नीमकाथाना, जिला सीकर को परिवादी से 20 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी बंद हुई आधार मशीन की आईडी को पुनः चालू करने की एवज में अब्दुल खलील कुरेशी सहायक प्रोग्रामर अतिरिक्त कार्यभार प्रोग्रामर, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग, ब्लॉक नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा **30 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. श्री विष्णुकान्त** के सुपरवीजन में एसीबी की जयपुर नगर तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अब्दुल खलील कुरेशी पुत्र श्री अलीमुद्दीन कुरेशी निवासी वार्ड नं0 17, छावनी, नीमकाथाना, सीकर हाल सहायक प्रोग्रामर अतिरिक्त कार्यभार प्रोग्रामर, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग, ब्लॉक नीमकाथाना, जिला सीकर को परिवादी से 20 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।